न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2021 निगरानी

1. नारायण लाल पुत्र देवी लाल बनाम बलाई निवासी धाकडो की झूपडिया, ग्राम पंचायत बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

1. ग्राम पंचायत, बडलियास जरिये सरपंच, बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति, कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. शम्भूपुरा धाकडों की झूंपडिया महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, जरिये अध्यक्ष शम्भूपुरा धाकडों की झूंपडिया महिला ग्रा.वि. दु.उ.स.स. लि. पोस्ट बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांकित 05/12/2019, पट्टा संख्या 01, ग्राम पंचायत बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

उपस्थित –

1. श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली, दीपक श्रीमाली अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से
3. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30/08/2019 को शम्भूपूरा, धाकडो की झूपडिया महिला ग्राम विकास दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से जरिये अध्यक्ष एवं सचिव सरपंच ग्राम पंचायत बडलियास के समक्ष पुश्तैनी मकान के नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र उक्त दिनांक का ही सरस डेयरी हेतु पट्टा दिलाने का आवेदन किया गया। उक्त आवेदन पर मनमकसूद कार्यवाही संधारित कर ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा खाल की जमीन (टांके की जमीन) का पट्टा बिना मौके पर नजरी नक्शा बनवा दिनांक 05/12/2019 को गैर निगराकार संख्या 03 को उक्त पट्टा संख्या 01 जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूलभूत प्रावधानों के विपरित होकर सरासर गलत, अवैध एवं मनमकसूद रूप से जारी हो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान

अति. जिला कलक्टर

पंचायती राज अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि की सार संभाल एवं देखभाल की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी हुई है एवं ग्राम पंचायत ही अपनी भूमि की कस्टोडियन होती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि खुर्द बुर्द करने की स्थिति में ग्राम पंचायत को भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाना व खुर्द बुर्द होने से बचाने का कर्तव्य होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय भूमि को खुर्द बुर्द करने का पूर्ण प्रयास गैर निगराकार संख्या 03 के साथ मिलकर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 05/12/2019 में यह दर्ज किया है कि पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 169(2) के तहत व्यवसायिक दर की आधी राशि जो कि 24,750/ रूपये बनती है वसूल किया जाकर पट्टा जारी किया जाये जबकि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 160 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि :–

160– अनुमोदन के अत्याधीन अन्तरण एवं आवंटन (1) ऐसे सभी अन्तरण जिनका मुल्य रूपये 10,000/– रूपये से अधिक हो नियम 154(3) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अत्याधीन होंगे। एवं इस अनुसार जहां अन्तरण की राशि 10,000/–रूपये से ज्यादा होती है वहां नियम 154 (3) में वर्णित अधिकारी से पंचायत को पट्टा जारी करने से पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन पंचायत समिति कोटडी से पट्टा जारी करने से पूर्व नहीं करवाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा गैर निगराकार संख्या 03 को अनुचित लाभ पहुंचा ग्राम पंचायत की जायदाद को खुर्द बुर्द करने की दृष्टी से उपरोक्त पट्टा जारी किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 159(2) के तहत ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत को ग्राम सेवा सहकारी समिति व कय–विक्रय सहकारी समिति को बिना मुल्य के गॉडाउन व कार्यालय बनाने के लिये भूमि का आवंटन किया जा सकता है परन्तु ऐसे आंवटन को राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 ने ऐसा कोई अनुमोदन नहीं करवाया है जिससे भी उपरोक्त भूमि का जारी पट्टा आदेश निरस्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 159 के तहत भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया हुआ है परन्तु ऐसा अधिकार निरंकुश नही होकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याधीन ही प्राप्त है एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 161 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के निस्तारण की प्रक्रिया दी हुई है जिसमें ग्राम पंचायत को अपनी भूमि के सम्बंध में तीन प्रक्रिया के तहत ही आवंटन व पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त है

1– नियम 145 के तहत भूमि कय करने के लिये आवेदन करने के पश्चात् नियम 150 के तहत निलामी की प्रक्रिया दी हुई है।

2– नियम 156 के तहत "प्राइवेट बातचीत के जरिये आबादी भूमि के अन्तरण" करने का विशेष अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है लेकिन उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत के अधिकारों में विधायीका द्वारा महत्वपूर्ण शर्ते अधिरोपित की गयी है जिसकी विशेषतः पालना किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसमें सर्वप्रथम नियम 156(क) के तहत प्राईवेट

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

नेगोसिएशन के जरिये पट्टा दिये जाने से पूर्व दो शर्तों की पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है:
A– कि व्यक्ति का भूमि पर दावा न्याय संगत हो।
B– निलामी से उचित कीमत प्राप्त नही हो सकती हो।
उक्त दोनो ही शर्ते विधायीका द्वारा आवश्यक रूप से पालन किये जाने हेतु अधिरोपित की है जिससे पब्लिक लेण्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खुर्द बुर्द नही किया जा सके।
3–नियम 157 के तहत पुराने कब्जे के आधार पर आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता हैं।
हस्तगत प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 03 को जारी किया गया पट्टा उपरोक्त तीनो में से किसी भी प्रक्रिया के तहत जारी नहीं किया गया है। गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आवेदन नियम 157 के तहत किया हुआ है जो कि मात्र बापी पट्टे पुश्तैनी मकान पर लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य मिशल से जाहिर नही होता है कि गैर निगराकार संख्या 03 का उक्त भूमि पर कोई बापी अधिकार स्थित हो। इसी प्रकार हस्तलिखित आवेदन में गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा सरस डेयरी हेतु पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया है जबकि नियम 159 (2) में स्पष्ट रूप से यह दर्ज है कि ऐसा पट्टा मात्र गॉडाउन या कार्यालय बनाने के लिये किया जा सकता है, गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा कही यह दर्ज नही किया है कि उपरोक्त भूमि उसे गॉडाउन या कार्यालय बनाने के लिये आवश्यकता हो एवं मात्र सरस डेयरी लगाने के लिये 750 स्कवायर फिट भूमि की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं होती है एवं इतने बड़े भूखण्ड का आवंटन एवं जो पट्टा जारी किया गया है वह निश्चित रूप से ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों परिस्थितियों व मौके के विपरित जारी किया गया है जो कि पट्टा निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त पत्रावली में गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा जानबुझकर अपने आवेदन पत्र के साथ मौके पर जिस भूमि का आवंटन व पट्टा चाह रहे हैं उसका कोई भी फोटो प्रस्तुत नही किया क्योंकि उपरोक्त आवंटनशुदा भूमि मूल रूप से आंवटित की ही नही जा सकती। उपरोक्त भूमि पानी की खाळ हैं, जिसमें गांव के मवेशी पानी पीते है, जिसमें वर्तमान में भी पानी भरा हुआ था, परन्तु गैर निगराकार संख्या 03 ने जो आवेदन पत्र पेश किया उसमें जानबुझकर दक्षिण की तरफ पडत भूमि दर्ज की, जबकि यह पूरी आंवटित 25 बाई 30 फिट की भूमि एवं दक्षिण की तरफ एक खाळ /पानी का टांका है, जो कि नैसर्गिक रूप से बारिश के पानी से भरती है एवं मवेशियों के पीने के काम आती है, जिसे किसी भी प्रकार से आंवटित नही किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के कई दृष्टांतो में गोचर की भूमि व टांके की भूमि को ग्राम पंचायत को आंवटित करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार से भी उपरोक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। नियम 156 (क) व (ख) राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत ग्राम पंचायत का प्राईवेट नेगोसिएशन के जरिये भूखण्ड विक्रय करने से पूर्व यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि भूखण्ड की निलामी किये जाने से उचित मुल्य प्राप्त नहीं हो पायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा निष्पादित मिसल में आज्ञाओ की सूची में कही

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

भी इस बात की संतुष्टी दर्ज नहीं की है, कि किस कारण से उक्त पट्टे की भूमि का पब्लिक ऑक्शन के जरिये निलामी किया जाने से उपर्युक्त मूल्य प्राप्त होने की संभावना नही है। उक्त भूमि के निस्तारण से पूर्व ग्राम पंचायत को यह पूरा प्रयास करना चाहिये कि भूमि से ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिऐ। पंचायत कोष को भारी नुकसान पहुंचाया व अपनी सम्पूर्ण आदेशिकाओं में कही यह दर्ज नही किया है कि क्योंकर उक्त भूमि को निलामी के जरिये विक्रय नहीं किया जा सकता अथवा भूमि की निलामी के जरिये उपर्युक्त राशि प्राप्त क्यों नहीं हो सकती जिससे उक्त सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की कार्यवाही दूषित होकर पट्टा अपास्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत अन्तरिम स्वीकृति के बाद एक माह का नोटिस आक्षेप/आपत्ति आमंत्रित किये जाने के लिये विहित प्रारूप के तहत जारी किया जाना आवश्यक है व उक्त नोटिस की एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाना व दूसरी प्रति क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रमाण स्वरूप पंचायत द्वारा पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन हस्तगतप्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी व पंचायत कार्यालय में बैठकर निष्पादित कर दी। वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि का कोई निरीक्षण नियमानुसार नहीं किया गया जो मगन लाल धाकड, त्रिलोकचन्द खटीक, सत्यनारायण सोनी के नाम निरीक्षण पत्र में दर्ज है सभी नुमाईशी दर्ज किये गये है। इनके द्वारा कोई मौका निरीक्षण नही किया गया ना ही भूखण्ड के पडौसीयों की संतुष्टी या अनापत्ति प्राप्त की गई। ऐसी स्थिति में भी उपरोक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा 01, दिनांकित 25/12/2019 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 02.09.2021 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 03 की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसकी प्रति निगराकार अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की गयी जिसकी प्रति विपक्षी अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस व निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 03 के आवेदन पर मनमकसूद कार्यवाही संधारित कर ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा खाल की जमीन (टांके की जमीन) का पट्टा बिना मौके पर नजरी नक्शा बनवा दिनांक 05/12/2019 को प्रश्नगत पट्टा संख्या 01 जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूलभूत प्रावधानों के विपरित होकर सरासर गलत, अवैध एवं मनमकसूद रूप से जारी हो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने आदेशिका दिनांक 05/12/2019 में यह दर्ज किया है कि पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 169(2) के तहत व्यवसायिक दर की आधी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

राशि जो कि 24,750/ रूपये बनती है वसूल किया जाकर पट्टा जारी किया जाये जबकि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 160 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि:– 160– अनुमोदन के अत्याधीन अन्तरण एवं आवंटन (1) ऐसे सभी अन्तरण जिनका मुल्य रूपये 10,000/– रूपये से अधिक हो नियम 154(3) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अत्याधीन होंगे एवं इस अनुसार जहां अन्तरण की राशि 10,000/–रूपये से ज्यादा होती है वहां नियम 154 (3) में वर्णित अधिकारी से पंचायत को पट्टा जारी करने से पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन पंचायत समिति कोटडी से पट्टा जारी करने से पूर्व नहीं करवाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा गैर निगराकार संख्या 03 को अनुचित लाभ पहुंचा ग्राम पंचायत की जायदाद को खुर्द बुर्द करने की दृष्टी से उपरोक्त पट्टा जारी किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 161 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के निस्तारण की प्रक्रिया दी हुई है जिसमें ग्राम पंचायत को अपनी भूमि के सम्बंध में तीन प्रक्रिया के तहत ही आवंटन व पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त है

1– नियम 145 के तहत भूमि क्रय करने के लिये आवेदन करने के पश्चात् नियम 150 के तहत निलामी की प्रक्रिया दी हुई है।

2– नियम 156 के तहत "प्राइवेट बातचीत के जरिये आबादी भूमि के अन्तरण" करने का विशेष अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है लेकिन उक्त नियम के तहत ग्राम पंचायत के अधिकारों में विधायीका द्वारा महत्वपूर्ण शर्ते अधिरोपित की गयी है जिसकी विशेषतः पालना किया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसमें सर्वप्रथम नियम 156(क) के तहत प्राईवेट नेगोसिएशन के जरिये पट्टा दिये जाने से पूर्व दो शर्तों की पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है:

A– कि व्यक्ति का भूमि पर दावा न्याय संगत हो।

B– निलामी से उचित कीमत प्राप्त नही हो सकती हो।

उक्त दोनो ही शर्ते विधायीका द्वारा आवश्यक रूप से पालन किये जाने हेतु अधिरोपित की है जिससे पब्लिक लेण्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खुर्द बुर्द नही किया जा सके।

3–नियम 157 के तहत पुराने कब्जे के आधार पर आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता हैं।

हस्तगत प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 03 को जारी किया गया पट्टा उपरोक्त तीनो में से किसी भी प्रक्रिया के तहत जारी नहीं किया गया है। गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा आवेदन नियम 157 के तहत किया हुआ है जो कि मात्र बापी पट्टे पुश्तैनी मकान पर लागू होता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य मिशल से जाहिर नही होता है कि गैर निगराकार संख्या 03 का उक्त भूमि पर कोई बापी अधिकार स्थित हो। इसी प्रकार हस्तलिखित आवेदन में गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा सरस डेयरी हेतु पट्टा जारी करने का आवेदन किया गया है जबकि नियम 159 (2) में स्पष्ट रूप से यह दर्ज है कि ऐसा पट्टा मात्र गॉडाउन या कार्यालय बनाने के लिये किया जा सकता है, गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा कही यह दर्ज नही किया है कि उपरोक्त भूमि उसे गॉडाउन या कार्यालय

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

बनाने के लिये आवश्यकता हो एवं मात्र सरस डेयरी लगाने के लिये 750 स्कवायर फिट भूमि की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं होती है एवं इतने बड़े भूखण्ड का आवंटन एवं जो पट्टा जारी किया गया है वह निश्चित रूप से ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों परिस्थितियों व मौके के विपरित जारी किया गया है जो कि पट्टा निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त भूमि पानी की खाळ हैं, जिसमें गांव के मवेशी पानी पीते है, जिसमें वर्तमान में भी पानी भरा हुआ था, परन्तु गैर निगराकार संख्या 03 ने जो आवेदन पत्र पेश किया उसमें जानबुझकर दक्षिण की तरफ पडत भूमि दर्ज की, जबकि यह पूरी आंवटित 25 बाई 30 फिट की भूमि एवं दक्षिण की तरफ एक खाळ /पानी का टांका है, जो कि नैसर्गिक रूप से बारिश के पानी से भरती है एवं मवेशियों के पीने के काम आती है, जिसे किसी भी प्रकार से आंवटित नही किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के कई दृष्टांतो में गोचर की भूमि व टांके की भूमि को ग्राम पंचायत को आंवटित करने का कोई अधिकार नही है। इस प्रकार से भी उपरोक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया जाकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। नियम 156 (क) व (ख) राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत ग्राम पंचायत का प्राईवेट नेगोसिएशन के जरिये भूखण्ड विक्रय करने से पूर्व यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि भूखण्ड की निलामी किये जाने से उचित मुल्य प्राप्त नहीं हो पायेगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा निष्पादित मिसल में आज्ञाओ की सूची में कही भी इस बात की संतुष्टी दर्ज नहीं की है, कि किस कारण से उक्त पट्टे की भूमि का पब्लिक ऑक्शन के जरिये निलामी किया जाने से उपर्युक्त मूल्य प्राप्त होने की संभावना नही है। उक्त भूमि के निस्तारण से पूर्व ग्राम पंचायत को यह पूरा प्रयास करना चाहिये कि भूमि से ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिऐ। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत अन्तरिम स्वीकृति के बाद एक माह का नोटिस आक्षेप/आपत्ति आमंत्रित किये जाने के लिये विहित प्रारूप के तहत जारी किया जाना आवश्यक है व उक्त नोटिस की एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाना व दूसरी प्रति क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रमाण स्वरूप पंचायत द्वारा पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन हस्तगतप्रकरण में गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी व पंचायत कार्यालय में बैठकर निष्पादित कर दी। वादग्रस्त भूमि जिसका पट्टा जारी किया गया है उक्त भूमि का कोई निरीक्षण नियमानुसार नहीं किया गया जो मगन लाल धाकड, त्रिलोकचन्द खटीक, सत्यनारायण सोनी के नाम निरीक्षण पत्र में दर्ज है सभी नुमाईशी दर्ज किये गये है। इनके द्वारा कोई मौका निरीक्षण नही किया गया ना ही भूखण्ड के पडौसीयों की संतुष्टी या अनापत्ति प्राप्त की गई। ऐसी स्थिति में भी उपरोक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा 01, दिनांकित 25/12/2019 को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे। निगराकार अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त प्रकाश चन्द्र बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा 2016(3)डीएनजे(राज.)202, राजू चीता बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा 2015(2)डीएनजे

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

(राज.) 596, होडेल सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अदर्स 2001 डब्ल्यू एल सी (राज.) यूसी 656 व अन्य पेश किये गये।

गैर निगरकार संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में राज्य सरकार की नीति तथा निर्देश के अनुसार पट्टा जारी किया है, जो वैध है, कतई निरस्त होने योग्य नही है। गैर निगराकार संख्या 01 राजस्थान पंचायत अधिनियम की नियम 144 से लेकर 160 तक की विधिवत पालना कर विधिवत पट्टा जारी किया है। निगराकार संख्या 01 ने अपनी भूमि को खुर्द बुर्द नहीं किया, बल्कि नियमो की पालना कर पट्टा के लिए आवेदन पर लेकर पत्रावली कायम कर तीन वार्ड पंचो की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर आपत्तिया आमंत्रित, नोटिस का प्रकाशन किया गया, किसी भी तरह की आपत्ति प्राप्त नही होने से नियमानुसार नियम 159(2) के तहत डी.एल.सी. पर ग्रामवासीयो की सहमति से स्वीकृति दी गयी व राशि वसूल कर अनुमोदित कर पट्टा जारी किया गया है, जो विधिवत है। निगराकार ने निगरानी में बताया कि राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 160 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि :– अनुमोदन के अत्याधीन अन्तरण एवं आवंटन (1) ऐसे सभी अन्तरण जिनका मुल्य रूपये 10,000/– रूपये से अधिक हो नियम 154(3) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अत्याधीन होंगे एवं इस अनुसार जहां अन्तरण की राशि 10,000/–रूपये से ज्यादा होती है वहां नियम 154 (3) में वर्णित अधिकारी से पंचायत को पट्टा जारी करने से पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। किन्तु उक्त अनुमोदन में ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2011 को नोटिफिकेशन जारी कर उक्त राशि 50000/–रूपये कर दी गयी है। जिससे ग्राम पंचायत को अनुमोदन कराये जाने की आवश्यकता नही थी। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा राज० पंचायती राज नियम 159(2) के तहत उपपंजीयक कोटड़ी की व्यवावसायिक दर पर 50 प्रतिशत पर आवंटित कर अनुमोदित पर पट्टा जारी करवाया जो विधिवत है। गैर निगराकार संख्या 03 ने अपने आवेदनपत्र मे सरस डेयरी का पट्टा बनाने बाबत लिखा है, न कि आवास हेतु। आवेदन पत्र मे जो पडौस अंकित कर रखे है, जिसमें तीन वार्डपंचो की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत है। आपत्तिया आमंत्रित की गयी है, लेकिन किसी ने आपत्ति पेश नही की, बल्कि पूरे ग्रामवासीयो द्वारा आपसी सहमति से उक्त भूखण्ड़ की सहमति दी, उसके बाद नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगराकार का यह कथन कि आंवटनशुदा भूमि में पानी की खाळ है व गांव के मवेशी पानी पीते हैं गलत है, बल्कि आंवटनशुदा भूखण्ड के पास में गन्दे पानी का खड्डा है, जहां पर गन्दा पानी भरा रहता है, जिससे डेंगू मच्छर पनपते रहते हैं, वहां मवेशी पानी नहीं पीते है, न ही कभी मवेशीयों ने कभी वहां पानी पीया है, क्योकि डेयरी के पास में ही ग्रामवासीयो की सहमति से मवेशीयो की पीने के पानी के लिए पो बना रखी है, जिसमे मवेशी पानी पीते है। आंवटनशुदा भूमि न तो गोचर भूमि है व न ही टांके की भूमि है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त आवंटित भूमि खाळ, टैंक, नदी ऐसा कोई अंकन नही हैं। आवंटनशुदा भूमि गै.मु. आबादी भूमि मे स्थित है, जिसका मालिक गैर निगराकार संख्या 01 होती है, गैर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार संख्या 01 के नियमों की पालना गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में पट्टा जारी किया, जो विधिवत है। उक्त भूखण्ड आवंटन से पूर्व सम्पूर्ण ग्रामवासीयों से चर्चा की गयी, ग्रामवासीयों ने कहा कि उक्त गांव में 35–40 घरों की बस्ती है, पूरे गांव में 250–300 लीटर दुध एक समय का प्रोडक्शन है, जिसको बाहर ले जाना पड़ता है तथा बाहर ले जाने पर दुध की पूरी कीमत नही मिलती है, इसलिए गांव के अन्दर ही डेयरी खुल जायेगी तो समस्त ग्रामवासीयो को दुध की उचित कीमत मिलेगी, गांव वालो को बाहर नहीं जाना पडेगा, इन सब बिन्दुओं को सोचते हुए सभी ग्रामवासीयों ने उक्त भूखण्ड आंवटन मे सहमति व स्वीकृति दी है, उसी में पट्टा जारी किया है, जो विधिवत है। उक्त डेयरी महिला सोसायटी की है। दूध बेचने का कार्य करती हैं। पब्लिक हित के लिये उक्त पटटा जारी किया गया हैं। डेयरी का गोडाउन 90% कम्पलीट हो चुका है। जो पट्टा जारी किया, उसमे जो पडौस अंकित कर रखे है, उसमे पूर्व दिशा का पडौस जीतमल बलाई हैं, जिन्होनें कोई आपत्ति पेश नहीं की है। उक्त निगरानी प्रकरण में निगराकार नारायण बलाई की कोई लोकस स्टैण्डाई नही है। निगराकार का उक्त पटटे में कोई हित निहित नही हैं। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी सारहीन व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से खारीज फरमायी जायें। गैर निगराकार संख्या ने मौका पर्चा ग्राम धाकडों की झूंपडिया (बडलियास) एवं विधिक दृष्टान्त राज. सरकार – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ.4(7) एम/ रूल/ लीगल/ पीआर/2010/1348 दिनांक 12.08.2011 प्रस्तुत किये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की मिसल अनुसार पाया गया कि निगराकार ने लिखित बहस में अंकन किया कि प्रश्नगत पटटेशुदा भूमि जलीय निकाय के रूप में हैं। जबकि पत्रावली ऐसा कोई राजकीय दस्तावेज जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नही है जिससे जाहिर हो कि प्रश्नगत पटटेशुदा भूमि जलीय निकाय के रूप में है।

निगराकार ने लिखित बहस में अंकन किया कि प्रश्नगत पटटे की मिसल पत्रावली में मनमकसूद नजरी नक्शा है एवं आपत्ति नोटिस सदृश्य स्थान पर चस्पा नही किया गया हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली के परीक्षण से स्पष्ट है कि नजरी नक्शा पर हस्ताक्षर नक्शा/नबीस है एवं सरपंच ग्राम पंचायत बडलियास के भी उक्त नजरी नक्शे पर हस्ताक्षर है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर भी तीनों वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां मांगने का सूचना पत्र भी दिनांक 20.09.2019 को जारी किया जाना मिसल पत्रावली से स्पष्ट होता है। आपत्ति प्राप्त नही होने पर विधिवत प्रकिया अपनायी जाना मिसल पत्रावली से स्पष्ट होता हैं।

निगराकार ने लिखित बहस में अंकन किया कि प्रश्नगत पटटे का धारा 160 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत अनुमोदन के अत्याधीन अन्तरण एवं आवंटन (1) ऐसे सभी अन्तरण जिनका मुल्य रूपये 10,000/– रूपये से अधिक हो नियम 154(3) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने के अत्याधीन होंगे एवं इस अनुसार जहां अन्तरण की राशि 10,000/–रूपये से ज्यादा होती है वहां नियम 154 (3) में वर्णित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अधिकारी से पंचायत को पट्टा जारी करने से पूर्व अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन पंचायत समिति कोटडी से पट्टा जारी करने से पूर्व नहीं करवाया गया।

इस हेतु विपक्षी संख्या 03 द्वारा राज. सरकार – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ.4(7) एम/ रूल/ लीगल/ पीआर/2010/1348 दिनांक 12.08.2011 प्रस्तुत किया गया जिस अनुसार अनुमोदन में ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2011 को नोटिफिकेशन जारी कर उक्त अन्तरण की राशि 50000/–रूपये कर दी गयी है। जिससे ग्राम पंचायत को अनुमोदन कराये जाने की आवश्यकता नही थी।

अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली से जाहिर आया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा राज० पंचायती राज नियम 159(2) के तहत उपपंजीयक कोटड़ी की व्यवावसायिक दर का 50 प्रतिशत पर आवंटित कर अनुमोदित पर पट्टा जारी करवाया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। गैर निगराकार संख्या 03 ने अपने आवेदनपत्र मे भी सरस डेयरी का पट्टा बनाने बाबत लिखा है, न कि आवास हेतु। आवेदन पत्र मे जो पडौस अंकित कर रखे है, उसकी मौका रिपोर्ट मे भी तीन वार्डपंचो के हस्ताक्षर है। निगराकार का उक्त पटटे में प्रथम दृष्टया कोई हित भी निहित सिद्व नही होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नही ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन व तथ्यहीन होने से निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत बडलियास तहसील कोटडी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा